तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुए
20/12/2023	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री रिणछोडाराम सियाग द्वारा वकालतनामा मय इकबाली जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया, वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं PW-1- हनुमानराम पुत्र डाउराराम स्वतंत्र गवाह PW-2- पूनमाराम पुत्र श्री मेघाराम जाति- जाट निवासी- खोखो की ढाणी, नया भूरटिया तहसील- बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये गये तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी स्वयं DW-1- ~~[illegible]~~ ~~पुत्र श्री~~ डाउराराम पुत्र सुजाराम जाति- जाट निवासी- कुतराणियों की ढाणी तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर का शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या-1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन उक्त विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या-1 की पैतृक साबित होती है लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (SDO) बायतु जिला—बाड़मेर	हनुमानराम (वादी) (हस्ताक्षर) वादी वकील डाउराराम (प्रतिवादी संख्या 1) (हस्ताक्षर) पूनमाराम (स्वतंत्र गवाह)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु

पीठासीन अधिकारी– श्री विवेक व्यास (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या–192/2023

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. हनुमानराम पुत्र ठाकरराम जाति जाट निवासी चुतराणियों की ढाणी माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु		1. ठाकरराम पुत्र सुजाराम जाति जाट निवासी चुतराणियों की ढाणी माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

1. रामचन्द्र सऊ वकील वादी
1. रिणछाराम सियाग वकील प्रतिवादी

–: निर्णय :– दिनांकः 20.12.2023

वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त पैतृक भूमि मौजा चुतराणियों की ढाणी, पटवार हल्का माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु के खसरा संख्या कमशः 276, 553/276, 591/331 व 592/331 रकबा कमशः 0.7119, 0.1942, 6.7309 व 7.6046 हैक्टेयर की आई हुई है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 पूर्वज रिड़मलराम के वंशज हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता हैं। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट वादीगण के पड़दादा रिड़मलराम के कब्जे काश्त की थी वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रुप से कब्जा काशत हैं इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि हैं। और वादीगण अपने पैतृक भूमि में सहखातेदार घोषित करवाने का अधिकारी हैं। और हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा हैं व हिस्से अनुसार मौके पर बहामी बंटवारा कर मौके पर काबिज हैं। क्यांकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार हिन्दु पुरुष के पुत्र, पौत्र व पड़पौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायोकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता हैं। अतः वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवानें का अधिकार हैं एवं जिस हेतु यह वाद घोषणा का न्यायालय में पेश किया गया हैं। वादी का यह वाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

प्रतिवादी संख्या 1 स्वंय एवं उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर इकबाली जबाबदावा लिखित में पेश कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदो को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमती प्रदान की हैं। वादी द्वारा साक्ष्य के रुप में स्वंय हनुमानराम पुत्र ठाकराराम शपथ पत्र PW-1, स्वंतत्र गवाह के रुप में पूनमाराम पुत्र अचलाराम का शपथ पत्र PW-2 पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा साक्ष्य के रुप में स्वंय ठाकराराम पुत्र सुजाराम का शपथ पत्र DW-1 पेंश किया गया। न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को सुना गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से पूर्व वादी के पड़दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के दादा के कब्जे काश्त की थी। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज रिड़मलराम के विधिक वारिशान हैं हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता हैं व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी के साथ वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है व अन्तिम डिक्री इस आश्य की जारी की जाती हैं कि मौजा चुतराणियों की ढाणी, पटवार हल्का माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु के खसरा संख्या कमंशः 276, 553/276, 591/331 व 592/331 रकबा कमंशः 0.7119, 0.1942, 6.7309 व 7.6046 हैक्टेयर में प्रतिवादी के साथ वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो, पत्रावली फैलस सुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बायतु

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला – बाड़मेर

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु

–: पीठासीन अधिकारी **श्री विवेक व्यास (R.A.S.)**

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. हनुमानराम पुत्र ठाकराराम जाति जाट निवासी चुतराणियों की ढाणी माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु		1. ठाकराराम पुत्र सुजाराम जाति जाट निवासी चुतराणियों की ढाणी माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद :– 192/2023 दिनांकः 20.12.2023

वादीगण की ओर से वकील श्री रामचन्द्र सऊ की उपस्थिति एवं प्रतिवादी वकील श्री रिणछाराम सियाग की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख को (नाम पीठासीन अधिकारी) श्री विवेक व्यास, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है व डिक्री दी जाती है कि –

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा चुतराणियों की ढाणी, पटवार हल्का माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु के खेत खसरा संख्या कमशः 276, 553/276, 591/331 व 592/331 रकबा कमशः 0.7119, 0.1942, 6.7309 व 7.6046 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह आज तारीख 20.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर (SDO),बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर